निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 38/20 दावा
दायरा दिनांकः–06.07.2020
निर्णय दिनांकः– 02-04-24

उनवान

1. रमेशचन्द आयु 53 वर्ष पुत्र प्रभुलाल
2. कमला बाई आयु 56 वर्ष पुत्री प्रभुलाल
3. घनश्याम आयु 52 वर्ष पुत्र प्रभुलाल
4. नन्दु बाई आयु 50 वर्ष पुत्र प्रभुलाल
5. पप्पु आयु वर्ष 48 वर्ष पुत्र प्रभुलाल
6. लाड बाई आयु 46 वर्ष पुत्री प्रभुलाल
7. राधेश्याम आयु वर्ष पुत्र प्रभुलाल
8. प्रेमनारायण आयु 42 वर्ष प्रभुलाल
9. केसरबाई आयु 40 वर्ष पुत्री प्रभुलाल
10. दाखा बाई आयु 80 वर्ष बेवा प्रभुलाल
11. छीतरलाल आयु 75 वर्ष पुत्र कान्हा जातियान ढीमर निवासीगण रींझा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

................वादीगण

बनाम

1. छोटुलाल आयु 40 वर्ष पुत्र जगन्नाथ
2. रामकल्याण आयु 42 वर्ष पुत्र जन्नाथ जातियान ढीमर निवासीगण ग्राम रींझा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

..............प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 02.4.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री उमाशंकर गोस्वामी – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,188 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि [illegible] 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 39/1 रकबा 11 बिस्वा वाके माल रींझा तहसील [illegible]बडा [illegible] वादीगण 1 ता 11 के खातेदारी में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण भाई [illegible] है एवं प्रतिवादीगण की कृषि आराजी भी वादीगण की कृषि [illegible] एवं प्रतिवादी[illegible] की कृषि आराजी एक दुसरे के [illegible] प्रतिवादीगण वादीगण [illegible] आराजी को ज्यादा काश्त कर लेते है। हंकाई जुताई को लेकर वादीगण एव

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:39:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रतिवादीगण के मध्य हमेशा मतभेद होते रहते है। लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को एवं वाद विवाद को खत्म करनें के उद्देश्य से वादीगण ने अपने हिस्से की पैमाईश हेतु एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार साहब छबडा के समक्ष पेश कर अपने खाते की आराजी की पैमाईश कराई। जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 12.06.2020 को रींझा पहुंचकर विवादीत आराजी की पैमाईश की। जिस पर प्रतिवादीगण ने पैमाईश में सहयोग नही कर विरोध किया। विवाद उत्पन्न होने की स्थिति को देखते हुए हल्का पटवारी सम्पूर्ण आराजी की पैमाईश नही कर पाए। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आज भी सीमाओ को लेकर विवाद बरकरार है। वादकारण दिनांक 12.06.2020 को उत्पन्न हुआ जब हल्का पटवारी विवादीत आराजी की पैमाईश करने तहसीलदार साहब छबडा के आदेश से पैमाईश करने विवादीत आराजी पर पहुंचे। जिस पर प्रतिवादीगण ने व्यवधान उत्पन्न कर सम्पूर्ण आराजी की पैमाईश नही होने दी एवं लडाई–झगडा करने पर आमादा हुए। जिससे हल्का पटवारी को विवाद की स्थिति को देखकर वापस लौटना पडा। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह उनके खातेदारी की आराजी को माननीय न्यायालय की सहायता से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से निषिद्ध करवा सके कि वह भविष्य में वादीगण की आराजी पर हंकाई जुताई नही करें वादीगण को उनके खातेदारी की सम्पूर्ण आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। वादीगण के पास माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अलावा अन्य कोई समीचीन रेमेडी उपलब्ध नही है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रीझा सम्वत् 2075–78 खाता सं0 20 नकल ट्रेस ग्राम रीझा पेया किया गया मौका पर्चा रिपोर्ट हल्का पटवारी खोपर दिनांक 12.06.2020 पेश की गईं। साक्ष्य वादी में PW1 रमेशचन्द PW2 रामचरण के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रीझा तहसील छबडा में स्थित है जो वादीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है वादीगण एवं प्रतिवादीगण भाई बन्धु है। प्रतिवादीगण की भूमि वादीगण की भूमि से लगी हुई है। वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि एक दुसरे के समीप होने से प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर काश्त कर लेते है हकाई जुताई को लेकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य लडाई झगडे होते रहते है वादीगण द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवाई गई परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति करने पर पटवारी हल्का द्वारा पैमाईश नही की गई। प्रतिवादीगण द्वारा सम्पूर्ण आराजी की पैमाईश नही होने दी व झगडा करने पर आमादा हुए हल्का पटवारी विवाद की स्थिति को देखकर वापस लोट आये। इस कारण वादीगण को वाद लाना पडा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे की वह वादीगण की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:39:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रीझा सम्वत् 2075–78 खाता सं0 20 के अनुसार वादी क्रम 11 के खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है नकल जमाबन्दी ग्राम रीझा सम्वत् 2075–78 खाता सं0 31 में वादी क्रम 1 ता 10 के पिता प्रभुलाल के खातेदारी में दर्ज होनेा पाया जाता है नकल मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 12.06.2020 के अनुसार हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जरीव चलाने के दौरान प्रतिवादी रामकल्याण पुत्र जगन्नाथ जाति ढीमर सा0 रीझा ट्रेक्टर लेकर जरीव चलाने वालों पर बाधा उत्पन्न की गई अर्थात् प्रतिवादीगण को वादीगण के खातेदारी की भूमि पर अडचन/विवाद पैदा करने के अधिकारी नही है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रीझा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 39 रकबा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 39/1 रकबा 11 बिस्वा पर वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न नही करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:39:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

संख्या 38/20	धारा 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 02.4.24
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री उमाशंकर गोस्वामी–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री	

वाद शीर्षक

1. रमेशचन्द आयु 53 वर्ष पुत्र प्रभुलाल
2. कमला बाई आयु 56 वर्ष पुत्री प्रभुलाल
3. घनश्याम आयु 52 वर्ष पुत्र प्रभुलाल
4. नन्दु बाई आयु 50 वर्ष पुत्र प्रभुलाल
5. पप्पु आयु वर्ष 48 वर्ष पुत्र प्रभुलाल
6. लाड बाई आयु 46 वर्ष पुत्री प्रभुलाल
7. राधेश्याम आयु वर्ष पुत्र प्रभुलाल
8. प्रेमनारायण आयु 42 वर्ष प्रभुलाल
9. केसरबाई आयु 40 वर्ष पुत्री प्रभुलाल
10. दाखा बाई आयु 80 वर्ष बेवा प्रभुलाल
11. छीतरलाल आयु 75 वर्ष पुत्र कान्हा जातियान ढीमर निवासीगण रींझा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. छोटुलाल आयु 40 वर्ष पुत्र जगन्नाथ
2. रामकल्याण आयु 42 वर्ष पुत्र जन्नाथ जातियान ढीमर निवासीगण ग्राम रींझा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रीझा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 39 रकबा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 39/1 रकबा 11 बिस्वा पर वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न नही करे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 02.4.24 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:39:36 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		